झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका सं० - 151/2022

मनोज मोहनानी, उम्र 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय सुन्दर लाल, निवासी सिंधी रिफ्यूजी कॉलोनी, डाकघर - एग्रिको, थाना - गोलमुरी, जिला - पूर्व सिंहभूम

..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखण्ड राज्य
2. जय प्रकाश श्रीवास्तव, पिता ज्ञात नहीं, मार्केटिंग ऑफिसर, जमशेदपुर राशनिंग, डाकघर+थाना-साकची, टाउन-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।
3. प्रभारी पदाधिकारी, साकची थाना, डाकघर+थाना - साकची, शहर-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम

..... **प्रतिवादी**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री शंकर लाल अग्रवाल, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री प्रभु दयाल अग्रवाल, विशेष पी.

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका (आपराधिक) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें साकची थाना कांड संख्या 166/2020 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश देने की प्रार्थना की गई है, जो जीआर संख्या 159/2021 के अनुरूप है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 409, 420, 467, 468, 471,120बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है; जो अब जमशेदपुर के विद्वान सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में आरोपी के रूप में नहीं है, फिर भी उसने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1991/2022 दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस न्यायालय द्वारा 22.03.2022 को पारित आदेश के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के उपायुक्त के पास 1,50,000/- रुपये जमा करने के उसके वचन पर, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के उपायुक्त के पास 1,50,000/- रुपये जमा करने के उसके द्वारा दिए गए वचन का सम्मान नहीं किया और अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने आज तक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता सह-आरोपी संजय मोहनानी और दीपक मोहनानी का चचेरा भाई है; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की जमाखोरी करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न को एफ.सी.आई. की बोरियों से अन्य बोरियों में स्थानांतरित करने में संलिप्त रहा है तथा याचिकाकर्ता धोखाधड़ी, जालसाजी, झूठे दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने तथा आपराधिक विश्वासघात के अपराधों में संलिप्त रहा है तथा उसने सह-आरोपियों के साथ आपराधिक षडयंत्र में उक्त अपराध किए हैं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है और न ही ऐसा कोई अपराध बनता है जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई हो। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि साकची थाना कांड संख्या 166/2020 के संबंध में जीआर संख्या 159/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जो अब जमशेदपुर के विद्वान उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष पीपी ने साकची थाना कांड संख्या 166/2020 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, जो जीआर संख्या 159/2021 के अनुरूप है, जो अब विद्वान सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता आदतन धोखेबाज है और उसने इस अदालत के साथ भी धोखाधड़ी की है। अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1991/2022 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.03.2022 के आदेश की ओर इस अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान विशेष पीपी ने प्रस्तुत किया कि इस रिट याचिका (सीआरपीसी) का याचिकाकर्ता उक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1991/2022 का भी याचिकाकर्ता था और उस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त वकील के माध्यम से; याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में उन्हें उनके जोड़ीदार राजेंद्र सिंह के माध्यम से शपथपूर्वक जानकारी है, लेकिन उन्होंने रिट याचिका के पैरा-10 में यह कथन देकर धोखाधड़ी की है कि उन्हें नहीं पता कि उनके विरुद्ध क्या आरोप है और वे इस मामले से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध सह-आरोपियों के साथ आपराधिक षडयंत्र में पहले से ही ऊपर बताए गए अपराधों को करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 07.07.2022 के आदेश के तहत पारित 'कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाने' के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी और याचिकाकर्ता मामले की जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है, लेकिन सह-आरोपियों, जिनके विरुद्ध मामले की उचित जांच के बाद पुलिस द्वारा आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, ने उन अपराधों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के बारे में बताया है, जिसके लिए मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि इस रिट याचिका (आपराधिक) को, बिना किसी योग्यता के, खारिज किया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, मामले के तथ्यों से याचिकाकर्ता का

धोखाधड़ी वाला कृत्य स्पष्ट है। जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सही रूप से प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1991/2022 में अपने खिलाफ आरोप प्रस्तुत किया था, लेकिन उसने अपने पैरवीकार के माध्यम से तत्काल रिट याचिका के पैरा-10 में यह दावा करके झूठा हलफनामा दिया है कि उसे नहीं पता कि उसके खिलाफ क्या आरोप है। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट आरोप है तथा जैसा कि प्रति-शपथपत्र में उल्लेख किया गया है कि मामले की अब तक की जांच के दौरान याचिकाकर्ता को उक्त अपराधों में शामिल करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई गई है तथा सह-आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर प्रकृति के गंभीर अपराध करने का सीधा आरोप है और याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है, जिसमें साकची थाना कांड संख्या 166/2020 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित पूरे आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए कोई रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जो जी.आर. संख्या 159/2021 के अनुरूप है, जो अब विद्वान सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है।

8. तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा साकची थाना कांड संख्या 166/2020 के संबंध में जी.आर. संख्या 159/2021 के अनुरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना, जो अब विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है; किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है और परिणामस्वरूप यह रिट याचिका (आपराधिक) खारिज की जाती है।

9. तत्काल रिट याचिका (आपराधिक) के निपटारे के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को दिनांक 07.07.2022 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम राहत रद्द कर दी गई है।

10. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय को तत्काल सूचित करें।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 30 नवंबर, 2023
एएफआर/ अनिमेष

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।